भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2694

(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन

2694. श्री अरुण गोविल:

डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब स्वयं सहायता समूहों का गठन केवल जरूरतमंद महिलाओं के लिए ही किया जाएगा, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्वयं सहायता समूहों की वर्तमान कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कौन-सी योजना तैयार की गई है;

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक गठित स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या तथा उन्हें वितरित कुल बैंक ऋण का राज्य-वार एवं मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एवं चंबा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋणों में से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों की संख्या तथा एनपीए की कुल राशि कितनी है;

(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डेयरी गतिविधियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसे समूहों को डेयरी व्यवसाय, दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार उन्हें 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं से जोड़ने के लिए कोई विशेष पहल कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मेरठ-हापुड़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(छ) वर्तमान में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) योजना सार्वभौमिक सामाजिक संगठन निर्माण के सिद्धांत का पालन करती है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार से कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में संगठित करके सभी चिह्नित ग्रामीण गरीबों को संगठित करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी गरीब परिवार पीछे न रहे। गरीब परिवारों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 और गरीबों की भागीदारी पहचान (पीआईपी) प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। यह मानते हुए कि गरीबी और सामाजिक बहिष्कार बहुआयामी हैं, यह मिशन अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), अल्पसंख्यकों, दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), बुजुर्ग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एकल महिलाओं, महिला-मुखिया वाले परिवारों, प्रवासी परिवारों और सामाजिक रूप से बहिष्कृत अन्य समुदायों सहित सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों तक पहुंचने पर विशेष जोर देता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का कार्यान्वयन समूह प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, बुककीपिंग और आजीविका में निरंतर क्षमता निर्माण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कामकाज को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। बचत, बैंक ऋण, ब्याज सहायता और अन्य वित्तीय सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उनके वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए एसएचजी को परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के रूप में निधि प्रदान की जाती है। यह मिशन संस्थागत सहायता के लिए ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय महासंघों (सीएलएफ) को मजबूत करते हुए सतत कृषि और गैर-कृषि आजीविका, उद्यम विकास, कौशल वृद्धि और बाजार संबंधों को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी जैसे सामुदायिक कैडर अंतिम छोर तक सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ख) डीएवाई-एनआरएलएम योजना के तहत गठित एसएचजी की कुल संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित बैंक ऋण की कुल राशि **अनुबंध - II** में दी गई है। मध्य प्रदेश के देवास - शाजापुर और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को संवितरित बैंक ऋण का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध - **III** और **IV** में दिया गया है।

(ग) एनपीए का जिलावार डाटा नहीं रखा जाता है, हालांकि, मध्य प्रदेश के संबंध में एनपीए खाता और राशि क्रमशः 14,308 और 13,305 लाख रुपये है और जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, एनपीए खाते 478 हैं और राशि 638.56 लाख रुपये है।

(घ) और (ड.) डेयरी गतिविधियों के माध्यम से एसएचजी की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं।

i. पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) पूरे देश में डेयरी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने और उनके पूरक के रुप में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेयरी गतिविधियों में नियोजित डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) की सहायता, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) जैसी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करना, डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करना है। ये उपाय सहकारी समितियों को मजबूत करने, संगठित डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि दूध उत्पादकों को उपभोक्ता मूल्य का अधिकतम हिस्सा मिले। योजना के मानदंडों के अनुसार एसएचजी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ii) डीएवाई-एनआरएलएम के तहत, महिला स्वामित्व वाले डेयरी आधारित समूहों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है जो दूध के एकत्रीकरण, मूल्य संवर्धन और विपणन में नियोजित हैं। इन समूहों को दूध संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन के लिए भी सहायता प्रदान की गई है।

(iii) इसके अलावा, एसएचजी सदस्यों को राज्यों द्वारा स्थानीय डेयरी सहकारी समितियों और कंपनियों को दूध एकत्रित करने और आपूर्ति करने के लिए संगठित किया जाता है।

(च) जी हां, लखपति दीदी पहल डीएवाई-एनआरएलएम का परिणाम है। इस पहल का उद्देश्य एसएचजी सदस्यों को (4 कृषि/व्यवसाय चक्रों के लिए) स्थायी आधार पर कम से कम 1.00 लाख रुपये की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। यह मिशन संभावित लखपति दीदी की पहचान करने, उन्हें आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से एसएचजी सदस्यों को सुविधा प्रदान कर रहा है। अब तक, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 24,000 और हापुड़ में 13,000 सहित देश भर में 3.46 करोड़ लखपति दीदी बनाई गई है।

(छ) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का कार्यान्वयन समूह प्रबंधन, वित्तीय साक्षरता, बुककीपिंग और आजीविका में निरंतर क्षमता निर्माण के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कामकाज को मजबूत करने के

लिए किया जा रहा है। बचत, बैंक ऋण, ब्याज सहायता और अन्य वित्तीय सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ उनके वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए एसएचजी को परिक्रामी निधि (आरएफ) और सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के रूप में निधि प्रदान की जाती है। यह मिशन संस्थागत सहायता के लिए ग्राम संगठनों (वीओ) और क्लस्टर स्तरीय महासंघों (सीएलएफ) को मजबूत करते हुए सतत कृषि और गैर-कृषि आजीविका, उद्यम विकास, कौशल वृद्धि और बाजार संबंधों को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा, बैंक सखी, कृषि सखी और पशु सखी जैसे सामुदायिक कैडर अंतिम छोर तक सेवाएं प्रदान करते हैं।

अनुबंध-I

"**दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन**" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2694 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गठित एसएचजी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,343
2	आंध्र प्रदेश	8,27,133
3	अरुणाचल प्रदेश	12,853
4	असम	3,56,760
5	बिहार	13,53,025
6	छत्तीसगढ़	2,91,453
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,823
8	गोवा	3,462
9	गुजरात	2,32,911
10	हरियाणा	62,921
11	हिमाचल प्रदेश	44,033
12	जम्मू और कश्मीर	96,637
13	झारखंड	3,20,838
14	कर्नाटक	2,97,982
15	केरल	2,38,981
16	लद्दाख	2,119
17	लक्षद्वीप	348
18	मध्य प्रदेश	5,15,943
19	महाराष्ट्र	6,67,562
20	मणिपुर	13,689
21	मेघालय	47,946
22	मिजोरम	10,083
23	नागालैंड	15,333

24	ओडिशा	5,51,414
25	पुडुचेरी	4,927
26	पंजाब	57,337
27	राजस्थान	3,36,928
28	सिक्किम	5,895
29	तमिलनाडु	3,48,977
30	तेलंगाना	3,93,845
31	त्रिपुरा	54,860
32	उत्तर प्रदेश	8,71,820
33	उत्तराखंड	69,811
34	पश्चिम बंगाल	11,67,882
	कुल	92,78,874

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत गठित एसएचजी की मध्य प्रदेश में देवास और शाजापुर सहित जिलावार संख्या

क्र. सं.	**जिला**	**कुल एसएचजी**
1.	आगर	4,676
2.	अलीराजपुर	8,292
3.	अनूपपुर	7,782
4.	अशोकनगर	5,940
5.	बालाघाट	19,300
6.	बड़वानी	11,185
7.	बैतूल	13,703
8.	भिंड	4,793
9.	भोपाल	4,540
10.	बुरहानपुर	4,520
11.	छतरपुर	13,252
12.	छिंदवाड़ा	13,757
13.	दमोह	13,756
14.	दतिया	4,618
15.	देवास	8,399

16.	धार	16,203
17.	डिंडोरी	9,649
18.	गुना	10,683
19.	ग्वालियर	5,237
20.	हरदा	3,975
21.	इंदौर	4,664
22.	जबलपुर	11,008
23.	झाबुआ	11,903
24.	कटनी	11,623
25.	खंडवा	8,108
26.	खरगोन	15,994
27.	मैहर	5,701
28.	मंडला	13,107
29.	मंदसौर	5,514
30.	मऊगंज	5,515
31.	मुरैना	8,855
32.	नर्मदापुरम	7,370
33.	नरसिंहपुर	8,926
34.	नीमच	4,033
35.	निवाड़ी	3,389
36.	पांढुर्णा	3,116
37.	पन्ना	10,463
38.	रायसेन	10,545
39.	राजगढ़	15,743
40.	रतलाम	8,483
41.	रीवा	13,160
42.	सागर	18,491
43.	सतना	9,088
44.	सीहोर	9,088
45.	सिवनी	14,619
46.	शहडोल	12,742
47.	शाजापुर	6,156
48.	श्योपुर	5,850

49.	शिवपुरी	12,837
50.	सीधी	10,829
51.	सिंगरौली	10,551
52.	टीकमगढ़	7,600
53.	उज्जैन	8,534
54.	उमरिया	6,435
55.	विदिशा	11,643
	कुल	5,15,943

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत गठित एसएचजी की
हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और चंबा सहित जिलावार संख्या

क्र. सं.	**जिला**	**कुल एसएचजी**
1.	बिलासपुर	2,205
2.	चंबा	2,959
3.	हमीरपुर	2,754
4.	कांगड़ा	8,486
5.	किन्नौर	789
6.	कुल्लू	3,404
7.	लाहौल और स्पीति	245
8.	मंडी	8,308
9.	शिमला	5,720
10.	सिरमौर	3,988
11.	सोलन	2,387
12.	ऊना	2,788
	कुल	**44,033**

अनुबंध-II

"**दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन**" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2694 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

जून 2026 तक महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वितरित बैंक ऋण की राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल राशि (₹ करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.12
2	आंध्र प्रदेश	3,69,426.53
3	अरुणाचल प्रदेश	236.2
4	असम	26,748.22
5	बिहार	71,599.9
6	छत्तीसगढ़	12,425.45
7	गोवा	455.49
8	गुजरात	4,528.35
9	हरियाणा	2,829.09
10	हिमाचल प्रदेश	1,466.83
11	जम्मू और कश्मीर	3,281.24
12	झारखंड	20,522.73
13	कर्नाटक	1,79,081.93
14	केरल	48,297.53
15	लद्दाख	6.06
16	लक्षद्वीप	3.89
17	मध्य प्रदेश	18,943.53
18	महाराष्ट्र	52,561.22
19	मणिपुर	245.78
20	मेघालय	839.51
21	मिजोरम	287.49
22	नागालैंड	323.96
23	ओडिशा	70,972.59
24	पुदुचेरी	1,406.38
25	पंजाब	822.1

26	राजस्थान	13,278.18
27	सिक्किम	264.53
28	तमिलनाडु	1,17,216.67
29	तेलंगाना	1,46,582.08
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5.16
31	त्रिपुरा	2505.03
32	उत्तर प्रदेश	12,417.4
33	उत्तराखंड	1,864.97
34	पश्चिम बंगाल	1,57,917.74
	कुल	13,39,383.88

अनुबंध-III

"**दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन**" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2694 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

मध्य प्रदेश में देवास और शाजापुर जिलों सहित जून 2026 तक वितरित बैंक ऋण का ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	राशि (₹ करोड़ में)
1.	आगर	143.88
2.	अलीराजपुर	406.42
3.	अनूपपुर	403.12
4.	अशोकनगर	117.27
5.	बालाघाट	1,067.35
6.	बड़वानी	656.71
7.	बैतूल	727.18
8.	भिंड	98.74
9.	भोपाल	382.94
10.	बुरहानपुर	149.96
11.	छतरपुर	193.69
12.	छिंदवाड़ा	1,031.22
13.	दमोह	356.31
14.	दतिया	71.65
15.	देवास	490.04
16.	धार	699.13
17.	डिंडोरी	267.34
18.	गुना	210.56
19.	ग्वालियर	222.88
20.	हरदा	72.8
21.	होशंगाबाद	340.9
22.	इंदौर	419.16
23.	जबलपुर	438.91
24.	झाबुआ	741.53

25.	कटनी	356.01
26.	खंडवा (पूर्व निमाड़)	350.65
27.	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	516.69
28.	मैहर	6.04
29.	मऊगंज	0.78
30.	मंडला	809.64
31.	मंदसौर	160.76
32.	मुरैना	192.16
33.	नरसिंहपुर	344.84
34.	नीमच	135.96
35.	निवाड़ी	34.8
36.	पांढुर्णा	2.72
37.	पन्ना	176.15
38.	रायसेन	323.6
39.	राजगढ़	369.08
40.	रतलाम	225.47
41.	रीवा	473.69
42.	सागर	510.05
43.	सतना	524.42
44.	सीहोर	334.82
45.	सिवनी	747.14
46.	शहडोल	563.73
47.	शाजापुर	197.5
48.	श्योपुर	164.75
49.	शिवपुरी	412.65
50.	सीधी	220.61
51.	सिंगरौली	145.83
52.	टीकमगढ़	151.94
53.	उज्जैन	305.42
54.	उमरिया	240.85
55.	विदिशा	235.09
	कुल	**18,943.53**

अनुबंध-IV

"**दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन**" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2694 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-IV

हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और चंबा जिलों सहित जून 2026 तक वितरित बैंक ऋण का ब्यौरा

क्र. सं.	**जिला**	**राशि (₹ करोड़ में)**
1	बिलासपुर	47.46
2	चंबा	56.18
3	हमीरपुर	73.43
4	कांगड़ा	397.60
5	किन्नौर	11.21
6	कुल्लू	70.89
7	लाहौल और स्पीति	1.71
8	मंडी	325.26
9	शिमला	191.61
10	सिरमौर	83.06
11	सोलन	85.37
12	ऊना	123.05
	कुल	**1,466.83**